-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम नाजायज चरस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी की रोकथाम व इसमे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाया जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 30.01.2025 को रात्रि गश्त के दौरान **अभियुक्त फिरोज पुत्र वजीर उर्फ फुल्लू पहलवान निवासी दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर हाल निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को नाला पटरी पर दर्पण सिनेमा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 220 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त फिरोज उपरोक्त के विरुद्ध **थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 32/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत** किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त फिरोज उपरोक्त ने बताया कि मैं चरस आसपास के जनपद से सस्ते दामों में खरीदकर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फिरोज पुत्र वजीर उर्फ फुल्लू पहलवान निवासी दाऊद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर हाल निवासी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त विक्की उर्फ विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 158/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 220 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1811 राहुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 31.01.2025 को 01 वारण्टी **अभियुक्त रोहित यादव पुत्र रणतेश यादव निवासी ग्राम नागल अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 1273/2017 धारा 138 NI ACT थाना गागलगेडी जनपद सहारनपुर को ग्राम नागल अहीर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित यादव पुत्र रणतेश यादव निवासी ग्राम नागल अहीर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का01035 हरेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 31.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा शराब ठेके में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी 12 पेटी देशी शराब, घटना में प्रयुक्त (01 सब्बल, 01 छैनी, 01 हथौडा, 01 मोटर साईकिल) तथा 15000/- रू0 नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08/12/2024 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नाथीराम निवासी ग्राम सालियार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत वादी की पत्नी के नाम ग्राम दूधला मे देशी शराब का ठेका आवंटित है। दिनांक 07/08/12/2024 की रात्रि में किन्ही अज्ञात चोरो द्वारा लगभग 80 पेटी शराब की तथा गल्ले से लगभग 20,000/-रुपये कैस चोरी कर लिया गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0-527/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व चोर/नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए थाना गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 30/01/2025 को अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र पप्पू नि0 ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. मोमिन पुत्र मोहसीन नि0 मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली 3. आस मौहम्मद पुत्र मोहसीन मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली 4. मनीष पुत्र सन्तुराम नि0 मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली को मुखबिर की सूचना पर ग्राम दूधला से ग्राम वजीरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की गयी 10 पेटी देशी शराब अंगूरी उ0प्र0 मार्का, 02 पेटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का तथा दीवार/शटर काटने के उपकरण बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- पकड़े गये अभियुक्तगणो द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 07 व 08 दिसम्बर 2024 की रात को उनके द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ ग्राम दूधला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से ग्राम मछरौली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर जाने वाले रास्ते पर देशी शराब के ठेके में पीछे से दीवार काटकर देशी शराब की लगभग 80 पेटिया चुराई थी। 80 पेटियो में से लगभग 70 पेटिया हमने बेच दी थी। इससे पूर्व में अक्टूबर महीने में थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर में पडने वाले गांव उनाली में स्थित देशी शराब का ठेका काटकर लगभग 112 पेटिया चुराई थी। जिसमें से 110 पेटिया बेच दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पताः-

1. सचिन पुत्र पप्पू नि0 ग्राम कलालहटी थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. मोमिन पुत्र मोहसीन नि0 मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली
3. आस मौहम्मद पुत्र मोहसीन मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली

4. मनीष पुत्र सन्तुराम नि0 मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली

बरामदगी का विवरणः-

- 10 पेटी देशी शराब अंगूरी उ0प्र0 मार्का (चोरी की)
- 02 पेटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का (चोरी की)
- 01 मोटर साईकिल प्लेटिना
- 01 सब्बल
- 01 छैनी
- 01 हथौडा
- 15000 रू0 नकद

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण सचिन, मोमिन, आस मौहम्मद

1. मु0अ0सं0- 321/24 धारा 305(ए) बीएनएस चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष

1. मु0अ0सं0- 321/24 धारा 305(ए) बीएनएस चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-32/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 272/273/420 भा.द.वि चालानी थाना थानाभवन, शामली
3. मु0अ0सं0-244/16 धारा 41/102 द0प्र0स0 व 411/414/465 भा.द.वि चालानी थाना बडगांव, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-53/22 धारा 148/149/307 भा.द.वि चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0-59/22 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 63/65 कापीराईट एक्ट व 120बी/272/273/420/467/468/471/472 भा.द.वि चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-294/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-54/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार सर्विलास प्रभारी मय टीम, सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नीरज कुमार गंगोह जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. कां0 336 आमीन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 31.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी को नोटिस तामील कराकर जनपद सहारनपुर की सीमाओं से किया गया निष्कासित

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधियो के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार कडी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष नानौता श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 31.01.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा **01 जिलाबदर अपराधी बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को विधि पूर्वक नोटिस तामील कराकर जनपद सहारनपुर की सीमाओं से छः माह के लिए निष्कासित किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही की गयी थी जिसके क्रम में श्रीमान अपर जिलाधिकारी (वित्त एव राजस्व), सहारनपुर द्वारा अभियुक्त बाबू उपरोक्त को छः माह के लिए जिलाबदर घोषित किया गया था । आदेश के अनुपालन में अभियुक्त बाबू उपरोक्त को लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील कराया गया तथा अभियुक्त को जिलाबदर के सम्बन्ध मे पूर्ण हिदायत करते हुए जनपद सहारनपुर की सीमाओं से थाना क्षेत्र मे मिलने वाली जनपद शामली की सीमा मे छोडा गया ।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता –

बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जनपद सहारनपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 107/20 धारा 380/411 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 295/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 258/20 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 01/15 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत
5. मु0अ0सं0 404/14 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली
6. मु0अ0सं0 193/14 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली

नोटिस तामील करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0श्री नीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0श्री निप्पी सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 205 विपिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक: 31.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के मामलें में 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों/शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशा तस्करी के मामले में 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर **अभियुक्त नदीम पुत्र शमीम उर्फ झाब्बरा निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को रायपुर ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 के पंजीकृत किया गया। **अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जो थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है**। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे हरियाणा से देशी शराब सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व शराब पीने वाले लोगो को महगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र शमीम उर्फ झाब्बरा निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 136/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 22/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 23/22 धारा 307 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 10/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 108/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 154/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 247/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राममेहर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2415 अंकित थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2418 योगेश थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. का0 रवि कुमार क्षेत्र-4 बेहट आबकारी विभाग जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सहारनपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 188 मुकदमों में बरामद कुल 1306.383 किलोग्राम नशीलें पदार्थों भिन्न-भिन्न प्रकार को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर की अध्यक्षता में थानों पर लम्बित मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन क्लीन** के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सिद्धार्थ वर्मा, क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी जी0आर0पी0 सहारनपुर, प्रभारी निरीक्षक सरसावा, प्रभारी निरीक्षक जी0आर0पी सहारनपुर की निकट पर्यवेक्षण में तथा **प्रभारी निरीक्षक डी0सी0आर0बी0 श्री रामनिवास सिंह** के कुशल नेतृत्व में जनपद सहारनपुर के समस्त थानों के हेड़ मोहर्रिर की मौजूदगी में **आज दिनांक 31.01.2025 को एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 188 मुकदमों में बरामद भिन्न-भिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ** (गांजा-73.80 किलोग्राम, चरस-16.716 किलोग्राम, अफीम- 875 ग्राम, स्मैक- 1.897 किलोग्राम, सुल्फा-120 ग्राम, नशीला पाउडर-365 ग्राम, डोडा पोस्त-1202 किलोग्राम व नशीली गोली-560 ग्राम) **कुल 1306.383 किलोग्राम** को पिलखनी मेडिकल कालेज की इन्सुंलेटर भट्टी में समस्त माल को नष्ट कराकर विनष्टीकरण की कार्यवाही की गयी।

नष्ट किया गया एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित माल का विवरणः-

- 73.80 किलोग्राम – **गांजा**
- 16.716 किलोग्राम – **चरस**
- 875 ग्राम – **अफीम**
- 1.897 किलोग्राम – **स्मैक**
- 120 ग्राम – **सुल्फा**
- 365 ग्राम – **नशीला पाउडर**
- 1202 किलोग्राम – **डोडा पोस्त**
- 560 ग्राम – **नशीली गोली**
- (कुल नशीला पदार्थ - 1306.383 किलोग्राम)

एनडीपीएस एक्ट के माल निस्तारण हेतु गठित टीम का विवरणः-

1- श्री व्योम बिन्दल, पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर।
2- श्री सिद्धार्थ वर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात सहारनपुर।
3- श्री एसएन वैभव पाण्डेय,क्षेत्राधिकारी नकुड़
4- क्षेत्राधिकारी जी0आर0पी0 जनपद सहारनपुर।
5- श्री रामनिवास सिंह प्रभारी निरीक्षक डीसीआरबी जनपद सहारनपुर।
6- श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
7- प्रभारी निरीक्षक जीआरपी जनपद सहारनपुर।
8- समस्त थानो के हेड मोहर्रिर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तग 1.**किशोर उर्फ मोटा पुत्र अमरनाथ निवासी शेखपुरा कदीम थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 358/94 धारा 380/511 भादवि चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर) 2.**राजू पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर (**सम्बन्धित वाद संख्या 1275/2025 धारा 125(3) सीआरपीसी चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये वारंटी अभियुक्तगण काफी समय से फरार चल रहे थे, वारंटी अभियक्त किशोर उर्फ मोटा उपरोक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) के आदेश जारी किये गये है। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. किशोर उर्फ मोटा पुत्र अमरनाथ निवासी शेखपुरा कदीम थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2. राजू पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 917 धर्मवीर सिंह थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 547 पंकज थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 1253 अनिरुध्द थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2017 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुर्करम पुत्र इस्लाम निवासी आली की चुंगी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग लडकी (उम्र 13 वर्ष) के साथ छेडछाड करना व दुष्कर्म करने की नियत से जबरदस्ती करने की सूचना पर थाना मण्डी पर मु0अ0स0-332/2017 धारा 354, 376, 511, भादवि व 7/8 पोक्सों एक्ट पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 110/2017 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.01.2025 को **अभियुक्त मुर्करम पुत्र इस्लाम निवासी आली की चुंगी थाना मण्डी सहारनपुर को मु**0**अ**0**स**0-332/2017 **धारा** 354**ख**,376,511, **भादवि व** 8/18 **पोक्सों एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को** 04 **वर्ष का सश्रम कारावास व** 10 **हजार रू**0 **के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक
विवेचक निरी0 श्री संजय राणा
पैरोकार म0हे0का0-78 संगीता थाना मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2021 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सन्नी पुत्र सुशील नि0 ग्राम भनेडा उददा थाना-थानाभवन जनपद शामली द्वारा वादी की भांजी उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना बड़गांव पर मु0अ0स0-84/21 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट पंजीकृत कराया गया विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1333/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.01.2025 को **अभियुक्त सन्नी पुत्र सुशील नि0 ग्राम भनेडा उददा थाना-थानाभवन जनपद शामली को मु0अ0स0-84/21 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक
विवेचक उप निरी0 श्री पवन कुमार
पैरोकार का0-2095 नितिन नागर थाना बडगाव सहारनपुर।